भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

स्वयं सहायता समूह उधारकर्ताओं पर एनपीए

3451. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को वितरित ऋणों और आज की तिथि तक उन पर बकाया ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) छत्तीसगढ़ के ग्रामीण गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इस योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) स्वयं सहायता समूहों को दिए गए बैंक ऋणों पर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) का प्रतिशत कितना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जैसा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सूचित किया गया है, स्वयं सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों और बकाया ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, 84.94 लाख एसएचजी पर 3,04,258.74 करोड़ रुपये के ऋण बकाया हैं।

(ii) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 55.57 लाख एसएचजी को 2,08,282.67 करोड़ रुपये के ऋण संवितरित किए गए।

(ख): छत्तीसगढ़ सहित राज्यों के ग्रामीण गरीबों की ऋण तक पहुंच को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम तथा बैंकों को जारी अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

(i) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) छत्तीसगढ़ सहित देश भर में सभी महिला एसएचजी को ब्याज सहायता प्रदान करता है, ताकि महिला एसएचजी को बैंक ऋण की प्रभावी लागत को कम किया जा सके।

(ii) सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) खुदरा व्यापार सहित विनिर्माण/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 20 लाख रुपये तक के सूक्ष्म ऋणों पर गारंटी कवरेज प्रदान

करती है और संबद्ध कृषि कार्यकलापों के लिए ऋण सीजीएफएमयू के अधीन कवर किए जाने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, 10 लाख रुपये और 20 लाख रुपये के बीच एसएचजी को स्वीकृत ऋण सीजीएफएमयू योजना के अंतर्गत गारंटी कवरेज के लिए पात्र हैं।

(iii) स्टैंड-अप इंडिया के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएसआई) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा स्वीकृत 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के बीच के ऋणों के लिए गारंटी कवर प्रदान करती है।

(ग): जैसा कि नाबार्ड द्वारा सूचित किया गया है, 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार एसएचजी को बैंक ऋणों पर सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) का प्रतिशत 1.74% था।
